

रा.आ.बैंक(नदि)/आरओडी/ पुनर्वित्त परिपत्र सं.2/2022

27 दिसंबर, 2022

सभी पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थाएं

महोदया/महोदय,

**नियमित पुनर्वित्त योजना के तहत रियायतें**

"आजादी का अमृत महोत्सव" के समारोह के भाग के रूप में, रा.आ.बैंक ने दिनांक 30 सितंबर, 2023 तक नए संवितरण पर चयनित श्रेणियों हेतु पहले दी गई रियायतों का विस्तार करने का निर्णय लिया है। हालांकि, कुछ केंद्रित खंड के लिए ऋण प्रवाह के महत्व को देखते हुए प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं को उपरोक्त अवधि तक **100 बीपीएस की बढ़ी हुई रियायत** की प्रस्तुत की जा रही है:

	रियायत	लागू रियायत	रियायती श्रेणियों के तहत रा.आ.बैंक मूल निधि (₹ करोड़)
क	ग्रामीण ऋण	25 बीपीएस	7,500
	₹ 10 लाख तक का ऋण	25 बीपीएस	
	महिलाओं हेतु ऋण	25 बीपीएस	
	थर्ड जेंडर/दिव्यांगजनों हेतु ऋण	25 बीपीएस	
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु ऋण	30 बीपीएस	
ख	हरित आवास के लिए ऋण	100 बीपीएस	2,000
ग	नीति आयोग द्वारा परिचालित आकांक्षापूर्ण जिले	100 बीपीएस	3,000
	उत्तर पूर्वी राज्य	100 बीपीएस	
	जम्मू और कश्मीर, लद्दाख	100 बीपीएस	

**नोट:**

- एक बार में एक ही रियायत मिलेगी
- महिलाओं को ऋण के मामले में रियायत उपलब्ध होगी जहां महिला वित्तपोषित संपत्ति की मालिक/सह-मालिक है
- थर्ड जेंडर, दिव्यांग व्यक्तियों को ऋण के मामले में, रियायत उपलब्ध होगी जहां लाभार्थी वित्तपोषित संपत्ति का मालिक/सह-मालिक है
- हरित आवास के लिए ऋण के मामले में, ग्रीन रेटिंग एजेंसियों जैसे गृह, आईजीबीसी इत्यादि द्वारा प्रमाणित ऋण हेतु रियायत उपलब्ध होगी (4 या उससे अधिक स्टार/प्लैटिनम या गोल्ड स्टार)
- पुनर्वित्त दरों में यह विशेष छूट एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है और श्रेणी क के तहत पुनर्निर्धारण 10/15 बीपीएस पर और श्रेणी ख और ग के तहत 25 बीपीएस पर किया जाएगा।

भवदीय,

(विनीत सिंघल)

महाप्रबंधक